न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 08/2016
दायर दिनांकः 13.04.2016
निर्णय दिनांक 22.12.2025

—: अनवान :—

लक्ष्मण सिंह पिता श्री शेरसिंह जी रावत आयु 60 वर्ष निवासी उदामाना का कोट, तहसील भीम, जिला राजसमंद

— निगराकार

बनाम

1. श्री घीसा सिंह पिता स्व0 सवाई सिंह जी रावत निवासी कुण्डाल की गुंआर (भीम) तहसील भीम, जिला राजसमंद
2. कुंवरसिंह पिता स्व0 सवाई सिंह जी रावत निवासी कुण्डाल की गुंआर (भीम) तहसील भीम, जिला राजसमंद
3. श्रीमती गंगा बाई पत्नि स्व0 सवाई सिंह जी रावत निवासी कुण्डाल की गुंआर (भीम) तहसील भीम, जिला राजसमंद
4. श्रीमती लक्ष्मी बाई पुत्री स्व0 सवाई सिंह जी रावत निवासी कुण्डाल की गुंआर (भीम) तहसील भीम, जिला राजसमंद
5. श्रीमती प्रेमी पुत्री स्व0 सवाई सिंह जी रावत निवासी कुण्डाल की गुंआर (भीम) तहसील भीम, जिला राजसमंद
6. ग्राम पंचायत भीम, जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत भीम तहसील भीम जिला राजसमंद

— गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी पट्टा संख्या 14, बुक संख्या 73 दिनांक 20.02.2009 पंचायत की बैठक दिनांक 20.12.2011 के प्रस्ताव संख्या 412

उपस्थितः—

1— श्री सम्पत लाल लडढा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— श्री मुकेश तलेसरा, अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 01 से 05
3— अप्रार्थी संख्या 06 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी पट्टा संख्या 14, बुक संख्या 73 दिनांक 20.02.2009 पंचायत की बैठक दिनांक 20.12.2011 के प्रस्ताव संख्या 412 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगराकार के खातेदारी एक आधिपत्य में आ0नं0 8780, 8781, 8782, 8783 व 8785 विधमान है। इस जमीन के दक्षिण दिशा मै खसरा नंबर 8779 (साबिक आ0नं0 6617 मी0) विद्यमान है। साबिक आ0नं0 6617 रकबा 51) 3 भूमि पर निगराकार के पूर्वाधिकारी शैरसिंह उर्फ शैरा पिता उरजा रावत निवासी भीम का कब्जा 40 वर्षो पूर्व से विद्यमान था, जिनकी मृत्यु पर निगराकार का कब्जा चला आ रहा है। निगराकार के पिता जी शैरा पिता उरजा रावत के विरुद्ध तहसीलदार जी भीम के यहा पत्रावली संख्या 43/73 ना0 कब्जा की कार्यवाही चली जिस पर तहसीलदार जी ने इस जमीन पर कब्जा दिनांक 1–1–71 से पूर्व का मानते हुए नियमन की सिफारिश के साथ पत्रावली उप जिलाधीश भीम के यहां भेजी गई। आ0नं0 6617 (वर्तमान 87779) भूमि पर कब्जा गिराकार का ही चला आ रहा है। दिनाक 26–12–2015 को सवाईसिंह के वारिस घीसासिंह कनवरसिंह व रिस्तेदार डाऊसिंह निवासी कुण्डाल की गुआर ने उक्त आ0नं0 6617 पर जबरन कब्जा कर अतिक्रमण करने लगे, हरे अग्रेजी बबूल के पेडों को काटकर नुकसान किया, जिस पर निगराकार ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। इससे पूर्व भी शांति भंग करने पर 107 द0प्र0सं0 में पाबंद कराया था। पुलिस कार्यवाही के दरमियान आ0नं0 8779 पर अतिक्रमण बाबत विपक्षीगण की और से बापी पटटा की नकले प्रस्तुत की जिससे पता चला कि विवादित आ0नं0 8779 के संबंध में विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी सवाई सिंह पिता रूपसिंह के पक्ष में बापी पटटा निम्नांक्ति पडौस व नाप का जारी कर दिया गया :– उत्तर – पडत जगह, दक्षिण – सिंचाई विभाग का गौदाम पूर्व – रास्ता तलाई जाने का, पश्चिम : पडत जमीन। यह बापी पटटा संख्या 14 बुक संख्या 73 विनाक 20–2–09 की ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिया गया, जिसका पंचायत की बैठक दिनांक 20–12–2011 की प्रस्ताव संख्या 412 के अनुसार पुनः नवीनीकरण किया गया, जिसका पंजियन उप पंजियक भीम के यहां 24–1–2012 को किया गया। उक्त अतिक्रमण की घटना पश्चात निगराकार ने ग्राम पंचायत से प्रमाणित नकले मांगी तो प्रमाण पत्र दिनांक 30–3–2016 को दिया कि पत्रावली ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। साथ में बैठक कार्यवाही का रजिस्टर की नकल दी तो ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 10 द्वारा आबादी मैं पुराने कापी मकानों के पटटे जारी करने की स्वीकृति दी थी, तब मौके पर सवाई सिंह का मकान होना तो दूर उसका कब्जा ही नहीं था। 8780, 8781, 8782, यह कि रेकर्ड से साबित है कि आ0नं0 8783. व 8785 के सटमा दक्षिण दिशा मैं विद्यमान खसरा संख्या 8779 पर कब्जा निगराकार के पिता का 40 वर्षो पूर्व से चला आ रहा है, तथा सवाई सिंह जी का कभी भी इस स्थान पर कब्जा नहीं रहा, किन्तु उन्हें गलत पटटा जारी दिया गया है। आबादी भूमि का पटटा जारी करने से पूर्व विधिवत प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, जिससे जारी पटटा अवैध होकर काबिल निरस्त है। पटटा जारी करने से पूर्व मौके की जांच नहीं की गई, मौके की वस्तुस्थिति रेकर्ड पर लाई जाती तो पुराना कब्जा/मकान सवाईसिंह जी का नहीं होने से पटटा जारी नहीं

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

दिया जाता। जो पडौस व नाप बनाए है, वह मौके पर मिलान ही नहीं होते है, इस कारण भी पटटा काबिल निरस्त है, उत्तर तरफ व पश्चिम दिशा में निगराकार के खाते की जमीन है, किन्तु पडत जमीन बता दी गई है, दक्षिण दिशा में सिंचाई विभाग का गोधाम बताया है, किन्तु अन्नाराम का मकान है। कब्जाधारी निगराकार को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, जिससे गडबड हुई है, व बाले बाले पटटा जारी करके मिली भगत से अनाधिकृत पंजीकरण करवाया गया है, जो काबिल निरस्त है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी पटटा संख्या 14 बुक संख्या 73 दिनांक 20–2–2009 पंचायत की बैठक दिनांक 20–12–2011 के प्रस्ताव संख्या 412 को निरस्त किया जाए।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत भीम से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा द्वारा उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी संख्या 06 के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 25.08.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। तथा ग्राम पंचायत भीम से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी। लेकिन ग्राम पंचायत भीम पत्रांक 80 दिनांक 22.09.2021 से उक्त पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उपलब्ध होना नही बताया हैं।

अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता ने प्रारम्भिक आपत्ती के साथ जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगराकार द्वारा उक्त निगरानी याचिका ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा दिनांक 20.12.2011 के विरूद्ध पेश की है तथा यह निगरानी याचिका पाँच वर्ष बाद पेश की गई है जो स्पष्ट रूप से बेरून मयाद है और इसी आधार पर उक्त निगरानी याचिका खारिज होने योग्य है। निगराकार द्वारा जिस पट्टे की उक्त निगरानी याचिका पेश की गई है जिसमें निगराकार को यह निगरानी याचिका पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। निगराकार का कोई लोकस इस प्रकरण में नहीं है। उक्त पट्टे शुदा भुमि पर अप्रार्थी का मौके पर मकान निर्मित है। अप्रार्थी इस मकान में निवास कर रहे है। इन तथ्यो को छिपा कर यह निगरानी याचिका पेश की है जो निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त प्रारम्भिक आपत्ति के साथ ही निगराकार द्वारा पेश की गई निगरानी याचिका का जवाब सादर निम्नानुसार निगरानी याचिका की कलम संख्या एक में वर्णित तथ्य जिस अनुसार लिखी है वह गलत होकर अस्वीकार है। आराजी नम्बर 8779 विपक्षी संख्या एक से पाँच के पिता पति सवाईसिंह पिता रूपसिंह जी को दिनांक 14.01.1981 को तत्कालीन तहसीलदार भीम जिला उदयपुर द्वारा आवंटित की गई थी तथा मौके पर उक्त आदेश की पालना में कब्जा आधिपत्य भी सुपुर्द किया गया और उक्त भुमि पर सवाईसिंह जी अपने जीवनकाल तक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे है। भुमि आबादी में दर्ज होने के उपरान्त उक्त भुमि पर सवाई का कब्जा आधिपत्य एवं मकान होने से ग्राम पंचायत भीम ने सवाईसिंह द्वारा उक्त भुमि का पट्टा जारी करने का आवेदन पत्र पेश करने पर दिनांक 20.02.2009 को पट्टा जारी किया गया तथा उक्त पट्टे का पंजीयन ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 12.01.2012 को कार्यालय उप पंजियक भीम के यहाँ पर करवाया गया था। सवाईसिंह के स्वर्गवास के बाद उक्त जायदाद विपक्षी संख्या एक से पाँच को

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जरिये विरासत से प्राप्त हुई है। उक्त जायदाद को निगराकार नाजायज कब्जा करना चहता है और नाजायज परेशान करना चाहता है उक्त जायदाद पर विपक्षी का मकान बना होकर विपक्षी हीरसिंह अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। यह सारी कार्यवाही प्रार्थी ने विपक्षी के पिता/पति के स्वर्गवास होने के बाद नाजायज रूप से परेशान करने के उद्देश्य से की गई हे जो आधारहीन होकर मिथ्या हैं ग्राम पंचायत ने विपक्षी के पिता/पति सवाईसिंह पिता रूपसिंह के पक्ष में जो पट्टा जारी किया है वह वैद्य एवं सही है। सवाईसिंह का इस भुमि पर वैद्य रूप से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है तथा सवाईसिंह को उक्त भुमि आवंटित हुई थी तथा बाद में भुमि आबादी में दर्ज होने से सवाईसिंह के कब्जे शुदा एवं बने हुऐ मकान के सबंध में पट्टा जारी करवाया गया जो वैद्य एवं सही है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में दो वर्ष का पूर्ण समय गुजरने के बाद नियमानुसार कार्यवाही करते हुऐ पट्टा जारी किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है मौके पर सवाईसिंह का मकान बना होकर सवाईसिंह की मृत्यु के बाद उसके वारीसान उक्त मकान पर निवास कर रहे है। तथा उपयोग उपभोग कर रहे है। विद्युत संबंध भी प्राप्त कर रखा है। वादग्रस्त भुमि पर कब्जा आधिपत्य सवाईसिंह का सन् 1981 से ही चला आ रहा है मौके पर सवाईसिंह ने मकान निर्मित करा रखा था और वो मकान आज भी विद्यमान है। उक्त भुमि पर निगराकार के पिता का कब्जा आधिपत्य नहीं चला आ रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि निगराकार के पिता के चार पुत्र पूरणसिंह, रतनसिंह, टेकसिंह व निगराकार लक्ष्मणसिंह है ऐसी स्थिति में निगराकार उक्त प्रकरण में रतनसिंह पूरणसिंह, व टेकसिंह को आवश्यक पक्षकार होते हुऐ भी पक्षकार नहीं बनाया है। यदि उन्हें पक्षकार बनाया जाता तो वो वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष कर देता। जिन आराजीयात का उल्लेख किया है वह निगराकार के कब्जे एवं आधिपत्य की नहीं है बल्कि उक्त जमीन के रतनसिंह, टेकसिंह व पूरणसिंह भी खातेदार है। भुमि आबादी होकर ग्राम पंचायत द्वारा तीन साल की पूरी प्रक्रिया अपना कर पट्टा जारी किया है जो वैद्य एवं सही है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। उक्त पट्टे की जानकारी निगराकार को शुरू से ही थी तथा वादग्रस्त भुमि पर सवाईसिंह का ही कब्जा आधिपत्य चला आ रहा था। निगराकार विपक्षीगण को अवैद्य रूप से बेदखल करना चाहता है और इसी आशय से पुलिस थाना भीम में झूठा प्रकरण दर्ज कराया है और उक्त झूठे प्रकरण की आड में विपक्षीगण को उक्त जायदाद से बेदखल करने का प्रयास किया गया। जिसमें निगराकार के सफल नहीं होने पर यह निगरानी याचिका पेश की गई है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सव्यय खारिज फरमाई जावे। विशेष हर्जा धारा 35 ए जाब्ता दीवानी के तहत निगराकार पर आरोपित किया जाकर विपक्षीगण को दिलाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। निगराकार द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर निगरानी याचिका को अवधि मे शुमार किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगराकार के खातेदारी एक आधिपत्य में आ0नं0 8780, 8781, 8782, 8783 व 8785 विधमान है। इस जमीन के दक्षिण दिशा मै खसरा नंबर 8779 (साबिक आ0नं0 6617 मी0) विद्यमान है। साबिक आ0नं0 6617 रकबा 51) 3 भूमि पर निगराकार के पूर्वाधिकारी शैरसिंह उर्फ शैरा पिता उरजा रावत निवासी भीम का कब्जा 40 वर्षों पूर्व से विद्यमान था, जिनकी मृत्यु पर निगराकार का कब्जा चला आ रहा है। निगराकार के पिता जी शैरा पिता उरजा रावत के विरुद्ध तहसीलदार जी भीम के यहा पत्रावली संख्या 43/73 ना0 कब्जा की कार्यवाही चली जिस पर तहसीलदार जी ने इस जमीन पर कब्जा दिनांक 1–1–71 से पूर्व का मानते हुए नियमन की सिफारिश के साथ पत्रावली उप जिलाधीश भीम के यहां भेजी गई। आ0नं0 6617 (वर्तमान 87779) भूमि पर कब्जा गिराकार का ही चला आ रहा है। दिनाक 26–12–2015 को सवाईसिंह के वारिस घीसासिंह कनवरसिंह व रिस्तेदार डाऊसिंह निवासी कुण्डाल की गुआर ने उक्त आ0नं0 6617 पर जबरन कब्जा कर अतिक्रमण करने लगे, हरे अग्रेजी बबूल के पेडों को काटकर नुकसान किया, जिस पर निगराकार ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। इससे पूर्व भी शांति भंग करने पर 107 द0प्र0सं0 में पाबंद कराया था। पुलिस कार्यवाही के दरमियान आ0नं0 8779 पर अतिक्रमण बाबत विपक्षीगण की और से बापी पटटा की नकले प्रस्तुत की जिससे पता चला कि विवादित आ0नं0 8779 के संबंध में विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी सवाई सिंह पिता रूपसिंह के पक्ष में बापी पटटा निम्नांक्ति पडौस व नाप का जारी कर दिया गया :– उत्तर – पडत जगह, दक्षिण – सिंचाई विभाग का गौदाम पूर्व – रास्ता तलाई जाने का, पश्चिम : पडत जमीन। यह बापी पटटा संख्या 14 बुक संख्या 73 विनाक 20–2–09 की ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिया गया, जिसका पंचायत की बैठक दिनांक 20–12–2011 की प्रस्ताव संख्या 412 के अनुसार पुनः नवीनीकरण किया गया, जिसका पंजियन उप पंजियक भीम के यहां 24–1–2012 को किया गया। उक्त अतिक्रमण की घटना पश्चात निगराकार ने ग्राम पंचायत से प्रमाणित नकले मांगी तो प्रमाण पत्र दिनांक 30–3–2016 को दिया कि पत्रावली ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। साथ में बैठक कार्यवाही का रजिस्टर की नकल दी तो ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 10 द्वारा आबादी मैं पुराने कापी मकानों के पटटे जारी करने की स्वीकृति दी थी, तब मौके पर सवाई सिंह का मकान होना तो दूर उसका कब्जा ही नहीं था। 8780, 8781, 8782, यह कि रेकर्ड से साबित है कि आ0नं0 8783. व 8785 के सटमा दक्षिण दिशा मैं विद्यमान खसरा संख्या 8779 पर कब्जा निगराकार के पिता का 40 वर्षो पूर्व से चला आ रहा है, तथा सवाई सिंह जी का कभी भी इस स्थान पर कब्जा नहीं रहा, किन्तु उन्हें गलत पटटा जारी दिया गया है। आबादी भूमि का पटटा जारी करने से पूर्व विधिवत प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, जिससे जारी पटटा अवैध होकर काबिल निरस्त है। पटटा जारी करने से पूर्व मौके की जांच नहीं की गई, मौके की वस्तुस्थिति रेकर्ड पर लाई जाती तो पुराना कब्जा/मकान सवाईसिंह जी का नहीं होने से पटटा जारी नहीं दिया जाता। जो पडौस व नाप बनाए है, वह मौके पर मिलान ही नहीं होते है, इस कारण भी पटटा काबिल निरस्त है, उत्तर तरफ व पश्चिम दिशा में निगराकार के खाते की जमीन है, किन्तु पडत जमीन बता दी गई है, दक्षिण दिशा में सिंचाई विभाग का गोधाम बताया है, किन्तु अन्नाराम का मकान है। कब्जाधारी निगराकार को

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, जिससे गडबड हुई है, व बाले बाले पटटा जारी करके मिली भगत से अनाधिकृत पंजीकरण करवाया गया है, जो काबिल निरस्त है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी पटटा संख्या 14 बुक संख्या 73 दिनांक 20–2–2009 पंचायत की बैठक दिनांक 20–12–2011 के प्रस्ताव संख्या 412 को निरस्त किया जाए।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 से 05 ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें निवेदन किया कि निगराकार द्वारा उक्त निगरानी याचिका ग्राम पचायत द्वारा जारी पट्टा दिनांक 20.12.2011 के विरूद्ध पेश की हैं। याचिका पांच वर्ष बाद पेश की गयी हैं, जो स्पष्ट रूप से बेरून मयाद हैं। ऐसी स्थिति में निगरानी याचिका विधि से वर्जित होकर खारिज होने योग्य है। निगराकार द्वारा जिस पट्टे को निरस्त कराने हेतु उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त याचिका को प्रस्तुत करने का निगराकार को कोई लोकस नहीं हैं। क्योंकि निगराकार उक्त भूमि का कब्जेधारी नहीं हैं। बल्कि भूमि आबादी में दर्ज होकर सवाई सिंह की कब्जेशुदा भूमि हैं, जो तहसीलदार भीम द्वारा सन् 1981 में सवाई सिंह को आवंटित की थी। तीन साल की पट्टे की कार्यवाही में निगराकार द्वारा कभी भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी हैं। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी का मौके पर मकान निर्मित हैं और अप्रार्थी इस मकान में निवास कर रहे हैं। इन तथ्यों को छिपाते हुए यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गयी हैं, जो खारिज होने योग्य हैं। आराजी संख्या 8779 विपक्षी संख्या 1 से 5 के पिता/पति सवाई सिंह पिता रूप सिंह जी को दिनांक 04.01.1981 को तत्कालिन तहसीलदार भीम जिला उदयपुर द्वारा आवंटित की गयी थी तथा मौके पर उक्त आदेश की पालना में कब्जा, आधिपत्य भी सिपूर्द किया गया और उक्त भूमि पर सवाई सिंह जी अपने जीवनकाल तक काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते रहे। भूमि आबादी में दर्ज होने के उपरान्त उक्त भूमि पर सवाई सिंह जी का कब्जा, आधिपत्य एवं मकान होने से ग्राम पंचायत भीम ने सवाई सिंह द्वारा उक्त भूमि का पट्टा जारी करने का आवेदन पत्र पेश करने पर विधिवत रूप से दिनांक 20.02.2009 को पट्टा जारी किया गया तथा पंचायत द्वारा उक्त पट्टे का कार्यालय उप पंजीयक भीम के यहां पर दिनांक 12.01.2012 पर पंजीयन किया गया। ऐसी स्थिति में किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त कराने के लिए केवल सिविल न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। उक्त प्रकरण आप न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से यह निगरानी खारिज होने योग्य हैं। सवाई सिंह के स्वर्गवास के पश्चात् निगराकार व उसके परिवार वाले आये दिन जबरन कब्जा करने के कई बार असफल प्रयास किए गये हैं तथा कब्जा करने की नियत से ही उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत की गयी है। निगराकार स्वच्छ हाथों से आप न्यायालय में नहीं आया हैं। ग्राम पंचायत ने विपक्षी के पिता/पति सवाई सिंह के पक्ष में पट्टा जारी किया गया हैं, वह वैद्य व सही हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में दो वर्ष का पूर्ण समय गुजरने के बाद नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पट्टा जारी किया गया हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी हैं। मौके पर सवाई सिंह का मकान बना हुआ होकर सवाई सिंह की मृत्यु के बाद उसके वारिसान उक्त मकान पर निवास कर रहे हैं तथा विद्युत सम्बन्ध भी प्राप्त कर रखा हैं। निगराकार के पिता के चार पुत्र पूरण सिंह, रतन सिंह

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

टेक सिंह व निगराकार लक्ष्मण सिंह हैं। ऐसी स्थीत में निगराकार उक्त प्रकरण में रतन सिंह, पूरण सिंह व टेक सिंह को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। ऐसी स्थिति में भी निगरानी खारिज योग्य हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उपरोक्त आधारों पर निगरानी याचिका को खारिज फरमाया जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यहा विवादित पट्टा ग्राम भीम के आबादी भूमि खसरा संख्या 8779 में श्री सवाई सिंह के नाम पर जारी किया जाना पाया गया। ग्राम पंचायत के बापी पट्टे से स्पष्ट होता है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड से यह स्पष्ट हुआ है कि 8779 के साबिक नम्बर 6617 मीन थे जो कि बिलानाम सिवाय चक भूमि थी न कि बिलानाम आबादी भूमि थी तथा इस सिवायचक भूमि पर श्री शेरा पिता गुरजाराम रावत का कब्जा दिनांक 01.01.1969 से पूर्व का होना तहसीलदार भीम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.01.1974 में माना है तो इस प्रकार यहॉ पर यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अधिकृत राजस्व दस्तावेजो से यह स्पष्ट जाहिर हुआ है कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा जो विवादित पट्टा जारी किया गया है वह आबादी भूमि पर जारी नही किया गया है तथा उस भूमि पर किसी अन्य अतिक्रमी का कब्जा चला आ रहा है जिसके नियमन की सीफारीश तहसीलदार भीम द्वारा की गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस भूमि का पट्टा दिये जाने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार ही नही था, विवादित पट्टा उस भूमि पर दिया गया ज्ञात हुआ है तथा मूल पट्टा पत्रावली का भी ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही होना ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया हैं। जो कि पट्टे की अवैधता व संधिकता को प्रमाणित करता है अतः निगरानी याचिका स्वीकार को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 से 05 के पूर्वाधिकारी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 20.02.2009 को निरस्त किया जाता है।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद